

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

पत्रांक:-पी.एच./बि.ज.स्व.मि.-1016/2014- 1221

दिनांक:- 26/12/2014

प्रेषक:

जयशंकर चौधरी,  
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव-  
सह-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति,  
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

सेवा में,

तकनीकी निदेशक,  
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC)  
बिहार, पटना।

विषय: लोहिया स्वच्छता योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखण्ड समन्वयकों के रिक्त पदों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु web based application तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि लोहिया स्वच्छता योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखण्ड समन्वयकों के 209 रिक्त पदों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रखण्ड समन्वयकों के चयन की कार्रवाई की जानी है।

संविदा आधारित नियुक्ति के लिए चयन की निर्धारित प्रक्रिया के ToR के आलोक में नियमित आवेदन online प्राप्त किये जाने हैं तथा चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्पादित की जायेगी।

अतः उपर्युक्त ToR की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रखण्ड समन्वयकों के लिए online आवेदन प्राप्त करने हेतु web based application तैयार कर राज्य मिशन को अवगत कराया जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाय सके।

अनु: प्रेषण

विश्वासभाजन

26/12/14  
(जयशंकर चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**  
**बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन**

लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रखण्ड समन्वयक पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञापन

लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अंतर्गत प्रखण्ड स्तरीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नांकित अंकित रिक्त पदों की संख्या के लिए ऑन-लाइन (On-line) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की वेबसाइट [www.bswwmpatna.org](http://www.bswwmpatna.org) पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित पदों का नाम, मासिक मानदेय एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रम	पद का नाम/रिक्तियां	मासिक मानदेय	अनिवार्य अर्हतायें
1.	प्रखण्ड समन्वयक (रिक्त पदों की संख्या 209)	रु. 10,000.00 (यात्रा भत्ता एवं मोबाइल भत्ता सहित)	किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री। अथवा बिहार सरकार कनीय अभियंता पद के समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मी। स्नातकोत्तर आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

नोट: पद राज्य के सभी जिलों के प्रखण्डों के लिए विज्ञापित हैं, वर्तमान पद पर कार्यरत राज्य मिशन के कर्मी समकक्ष पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

विज्ञापित पदों की विवरणी तथा आवेदन प्रपत्र का प्रारूप बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के वेबसाइट [www.bswwmpatna.org](http://www.bswwmpatna.org) पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र online ही स्वीकार किये जाएंगे। Online आवेदन दिनांक ..... से दिनांक ..... तक submit किये जायेंगे।

विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन संहित है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।

**अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग-सह-**  
**सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।**

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**  
**बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन**

**लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रखण्ड समन्वयक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञापन**

लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अंतर्गत प्रखण्ड स्तरीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नांकित अंकित रिक्त पदों की संख्या के लिए ऑन-लाइन (On-line) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की वेबसाइट [www.bswwmpatna.org](http://www.bswwmpatna.org) पर देखा जा सकता है। संविदा आधारित पदों का नाम, मासिक मानदेय एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रम	पद का नाम/रिक्तियां	मासिक मानदेय	अनिवार्य अर्हतायें
1.	प्रखण्ड समन्वयक (रिक्त पदों की संख्या 209)	रु. 10,000.00 (यात्रा भत्ता एवं मोबाइल भत्ता सहित)	किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री। अथवा बिहार सरकार कर्नीय अभियंता पद के समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मी। स्नातकोत्तर आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

नोट: पद राज्य के सभी जिलों में प्रखण्डों के लिए विज्ञापित हैं, वर्तमान पद पर कार्यरत राज्य मिशन के कर्मी समकक्ष पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

**2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता -**

- आवेदक भारत के नागरिक हो।
- उम्र सीमा - चयन के वर्ष की पहली जनवरी को अधिकतम 37 वर्ष है।  
बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पूर्व सैन्य कर्मियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दो (2) वर्ष, महिला उम्मीदवारों के लिए तीन (3) वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच (5) वर्ष अनुमान्य होगी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच (5) वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विकलांगों के लिए दस (10) वर्ष अनुमान्य होगी।
- स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को मानदेय बिहार सरकार के नियमानुकूल अधिकतम विज्ञापित राशि तक भुगतान किये जायेंगे।

**3. मेधा सूची का निर्धारण:-**

- i. **प्रखण्ड समन्वयक-** शैक्षणिक योग्यता (60) + अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (10) + अतिरिक्त अनुभव (10) + व्यक्तिगत साक्षात्कार (20) 100 अंको में विभाजित किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित पदों के ToR का अवलोकन करें।
- ii- विज्ञापित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की मेधा सूची बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तैयार की जायेगी। मेधा सूची में से विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को interview के लिए मूल प्रमाण-पत्रों के साथ आमंत्रित किया

जायेगा। विज्ञापित पदों की संख्या के चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ-साथ 1 : 3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जो आगामी 3 वर्षों हेतु मान्य होगा।

### iii- चयन समिति-

संविदा के आधार पर प्रखण्ड समन्वयक के चयन हेतु समिति निम्न प्रकार होगी-

- i. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
-सह- सदस्य, सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति **अध्यक्ष**
  - ii. निदेशक, पीएमयू, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति **सदस्य सचिव**
  - iii. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी (अधीक्षण अभियंता पद के समकक्ष) **सदस्य**
  - iv. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव **सदस्य**
  - v. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नामित विशेषज्ञ संस्था के प्रतिनिधि **सदस्य**
4. प्रखण्ड समन्वयक पद के लिए अभ्यर्थी केवल एक ही जिला में आवेदन कर सकेंगे। एक अभ्यर्थी से केवल एक ही आवेदन स्वीकृत होगा।
  5. एक से ज्यादा आवेदन किये जाने पर आवेदन रद्द माना जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पदस्थापन प्रखण्ड समन्वयक के लिए गृह प्रखण्ड में नहीं होगा और नियुक्ति उपरांत कर्मियों को पदस्थापित मुख्यालय में रहना होगा।
  6. **आरक्षण:-** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए पत्रांक 458 दिनांक-30.09.2002 द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे। विवरण संलग्न।
  7. **एकरारनामा:-** प्रखण्ड समन्वयक हेतु संविदा पर रखे जाने के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति के बीच एकरारनामा किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, पीएमयू होंगे।
  8. संविदा के आधार पर नियोजन उपर्युक्त सभी कर्मियों की कार्य अवधि तीन वर्ष की होगी, जो कि वार्षिक रूप से कार्यक्षमता के प्रदर्शन एवं सेवा संतोषप्रद पाये जाने के उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा विस्तारित की जायेगी।
  9. प्रखण्ड समन्वयक के पद पूरी तरह से अस्थाई और परियोजना आधारित हैं। ये पद बिहार सरकार द्वारा संपोषित परियोजना के आलोक में ही सृजित हैं। परियोजना समाप्ति के साथ ही ये पद स्वतः समाप्त माने जायेंगे अर्थात् इस पद संविदा के आधार पर रखे जाने वाले व्यक्ति किसी भी स्थिति में स्थायी पद अथवा समायोजन के हकदार नहीं होंगे।
  10. संविदा अवधि समाप्ति के उपरांत यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
  11. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं माने जायेंगे।
  12. संविदा पर नियोजित कर्मियों स्थायीकरण/नियमितीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही वे इसके पात्र होंगे।
  13. संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरुद्ध संविदा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में सम्यक कार्रवाई के लिए बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति सक्षम प्राधिकार होगा।

14. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व – बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति/जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन नियोजित कर्मियों के द्वारा किया जायेगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा। कर्मियों के कर्तव्य व दायित्व वेबसाइट पर उपलब्ध है।
15. चूंकि योजना केन्द्र/राज्य प्रायोजित है, अतएव अनुबंध के आधार पर यह सावधिक नियोजन तभी मान्य होगा जब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी।
16. आवेदन प्रारूप बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति के वेबसाइट [www.bswsmpatna.org](http://www.bswsmpatna.org) पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र online ही स्वीकार किये जाएंगे।
17. Online आवेदन दिनांक ..... से दिनांक ..... तक submit किये जायेंगे। Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार के आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
18. विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन है। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग-सह-  
सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

प्रखण्ड समन्वयकों के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु जिलावार रोस्टर

District Wise Roster For Appointment of Block Coordinator								
क्रम सं०	जिला का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण रोस्टर (100 अंक गणना के आधार पर)					
			सामान्य	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग - महिला	अनुसूचित जनजाति
1	अररिया	6	5	0	1	0	0	0
2	अरवल	2	1	1	0	0	0	0
3	औरंगाबाद	5	4	1	0	0	0	0
4	बांका	8	4	1	2	1	0	0
5	बेगूसराय	6	2	0	3	1	0	0
6	भागलपुर	7	3	0	3	1	0	0
7	भोजपुर	4	1	1	0	2	0	0
8	बक्सर	4	4	0	0	0	0	0
9	दरभंगा	6	3	1	0	1	1	0
10	पूर्वी चम्पारण	12	5	3	3	0	1	0
11	गया	11	3	2	3	3	0	0
12	गोपालगंज	5	3	2	0	0	0	0
13	जमुई	7	4	0	2	1	0	0
14	जहानाबाद	3	1	1	1	0	0	0
15	कैमूर	4	3	0	1	0	0	0
16	कटिहार	7	3	1	1	2	0	0
17	खगड़िया	4	2	1	1	0	0	0
18	किशनगंज	1	0	0	1	0	0	0
19	लखीसराय	2	1	0	1	0	0	0
20	मधेपुरा	6	4	1	0	1	0	0
21	मधुबनी	7	5	0	1	0	1	0
22	मुंगेर	3	1	1	1	0	0	0
23	मुजफ्फरपुर	5	3	1	0	1	0	0
24	नालंदा	9	5	2	1	0	1	0
25	नवादा	6	4	1	1	0	0	0
26	पटना	5	2	3	0	0	0	0
27	पूर्णियाँ	2	0	0	2	0	0	0
28	सासाराम	6	4	1	1	0	0	0
29	सहरसा	5	3	0	2	0	0	0
30	समस्तीपुर	7	2	1	3	0	1	0
31	सारण	5	2	1	1	0	1	0
32	शेखपुरा	4	3	0	1	0	0	0
33	शिवहर	4	3	0	1	0	0	0
34	सीतामढ़ी	3	2	1	0	0	0	0
35	सिवान	6	4	2	0	0	0	0
36	सुपौल	6	4	0	2	0	0	0
37	वैशाली	7	3	0	2	2	0	0
38	पश्चिम चम्पारण	9	5	1	2	1	0	0
<b>कुल</b>		<b>209</b>	<b>111</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**Bihar State Water and Sanitation Mission  
Vishveshwaraia Bhawan Complex, Bailey Road, Patna-15**

**Term of Reference for Block Coordinator, Lohiya Swachchhata Yojana (LSY)**

1. **POSITION: Block Coordinator, LSY (209)**

---
2. **PURPOSE OF ASSIGNMENT**

Provide handholding support in terms of awareness generation, motivation, social mobilization, training and monitoring of sanitation facilities to village communities, GPs and VWSCs in the implementation of Swachh Bharat Mission (Gramin)/Lohiya Swachhta Yojana (LSY) at Block level, contributing to adoption of hygiene practices within families, schools and Anganwadis etc.

---
3. **PROGRAMME AREAS**

Programmatic interventions implementation coordination and activities support supervision under the Swachh Bharat Mission (Gramin)/Lohiya Swachhta Yojana (LSY)

---
4. **BASIC OBJECTIVE TO WHICH THE CONSULTANCY IS RELATED**

To provide Coordination and Implementation Assistance and Related Resource Mobilization as per project need.

---
5. **DUTY STATION**

Block Headquarters with Bihar State

---
6. **DURATION**

3 years-(annual extension will be given annually on satisfactory performance)

The employment may be terminated through one month notice from either side or one month's salary (gross) in lieu of notice period.

---
7. **SUPERVISOR**

Executive Engineer-cum-Member Secretary, DWSC/ District Coordinator, DWSC

---
8. **Desired Qualification and Experiences**

Graduate in any discipline.

  - Sound professional skills in community mobilization and implementation, of Water supply and Sanitation programmes at village level.
  - Good liasoning skills to interact with Gram Panchayat members and ability to facilitate training at block level. Carry out community meetings and focus group discussion would be essential.
  - Knowledge of computers especially use of MS Office package (word/excel/PowerPoint) and internet.

---

3.	Additional experiences	10
4.	Personal Interview	20
	<b>Total Marks</b>	<b>160</b>

**B. Points specification education qualification:**

Min. Edu. Qualification	% marks/ Points	% marks/ Points	% marks/ Points	% marks/ Points
% marks	> 80%	<80%, >70%	<70%, >60%	<60%
Graduation	30	25	20	15
Intermediate	15	12	9	6
Matriculation	15	12	9	6

**C. Points specification for additional education qualification and :**

- i. Experience  $\geq$  06 years - 10 points
- ii. Experience  $\geq$ 4 years &  $\leq$  6 years - 05 points